PROSPECTUS

4200

GOVT. DANESHWARI P.G. COLLEGE

Dantewada, Dist. South Bastar (C.G.)

शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा

₹ 60/-

महाविद्यालय का इतिहास

शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेवाड़ा, जगदलपुर-बैलाडीला राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित है। यह महाविद्यालय जगदलपुर से 86 किलोमीटर तथा बैलाडीला से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1982 में की गई थी। महाविद्यालय के पास शासन द्वारा प्रदत्त स्वयं की लगभग 10 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें महाविद्यालय का भवन एवं खेल का मैदान स्थित है। दुर्गम पहाड़ी व वनोच्छादित भागौलिक अंचल का यह महाविद्यालय उच्चशिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है तथा यह महाविद्यालय भावी पीढ़ी को उच्चशिक्षा प्रदान करके विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। महाविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक गतिविधियों से दन्तेवाड़ा में शिक्षा के प्रति एक बेहतर वातावरण बन रहा है तथा इससे अंचल के छात्रों को उम्मीद बंध रही है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से ही विकास हो सकता है। यह महाविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से सम्बद्ध है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की 2 (एफ) तथा 12 (बी) की सूची में सम्मिलित है। इसके तहत महाविद्यालय को समय-समय पर यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त होता है इससे महाविद्यालय का समग्र विकास हो रहा है।

शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक इकाई क्रियाशील है जिसके तहत् छात्र एन.सी.सी. गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तिगत का विकास कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं के व्यक्तिगत विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई भी संचालित है। जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। इस महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ रेड-क्रास सोसायटी के अंतर्गत गठित एक रेड-रीबन क्लब का भी गठन किया गया है। इसके तहत् प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय में छत्तीसगढ़लोकसेवा गारण्टी (आवेदन अपील तथा परिव्यय का भुगतान) अधिनियम 2011 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है जिसके अंतर्गत महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं निर्धारित समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं/सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

हमारा लक्ष्य

लक्ष्य निर्धारण इस महाविद्यालय के लिए महज एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक गंभीर विमर्श है ताकि इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। हमारी शिक्षा का उद्देश्य महज उन्हें उस स्थान तक पहुंचाना नहीं है, जहां वे धनार्जन कर जीविका चला सकें बल्कि जीविकोपार्जन की उत्कृष्ट संभावनाओं का विकास करते हुए एवं उनकी प्रतिभा को निखारते हुए उनमें एक ऐसी भावना का संचार करना है जो उन्हें देश का ईमानदार कर्मठ नागरिक तथा बेहतर मनुष्य बना सके। एक बेहतर शिक्षा का लक्ष्य बेहतर मनुष्य बना सके। एक बेहतर शिक्षा का लक्ष्य बेहतर मनुष्य बनाना ही होता है।

शिक्षा के अतिआधुरिक होते स्वरुप को देखते हुये महाविद्यालय छात्र/छात्राओं को एक बेहतर भविष्य का स्वप्न ही नहीं दिखाता वरन् कई नई प्रयोग तकनीकी एवं कदमों के द्वारा उन्हें साकार भी करता है। इस हेतु महाविद्यालय न केवल पुस्तकीय ज्ञान तक बांध कर रखता है बल्कि खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रास आदि अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाकर उन्हें जिम्मेदार व सामाजिक व्यक्ति के रुप में गढ़ने का भी अथक प्रयास करता है। बेहतर पुस्तकालय की सुविधा द्वारा हम उन्हें मात्र स्नातक तक ही नहीं बल्कि कई विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक की पुस्तके उपलब्ध कराकर ज्ञानोपार्जन हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदाय करते हैं। साथ ही पाठ्यक्रमों से बाहर के साहित्य एवं लेखन से उन्हें परिचित भी करवाना पुस्तकालय का लक्ष्य है।

इन लक्ष्यों के साथ महाविद्यालय कई वर्षों से कार्य करता रहा है और आने वाले वर्षों में भी इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहेगा। नवागन्तुक छात्र/छात्राओं से हमारी अपेक्षा है अनुशासन पूर्वक, नियमित रुप से कक्षाओं में उपस्थित देते हुए इस महाविद्यालय के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेंगे। अन्ततः छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास में महाविद्यालय के विकास का मंत्र छिपा है।

प्राचार्य
शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

क्र.	पाठ्यक्रम	विषय
विज्ञान संकाय –		
1.	बी.एस.सी. बी.सी.ए.	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन। विषय समूह – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित। जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, सेरीकल्चर, वानिकी। सभी अनिवार्य विषय
वाणिज्य संकाय –		
1.	बी.कॉम	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन तथा अन्य सभी विषय जो इस महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हैं।
कला संकाय –		
1.	बी.ए.	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन तथा ऐच्छिक विषय – इतिहास/अंग्रेजी साहित्य (दोनों में से एक) हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान (इनमें से कोई तीन विषय)
स्नातकोत्तर स्तर सेमेस्टर प्रणाली		
1.	एम.ए.	इतिहास, राजनीति शास्त्र।
2.	एम.एस.सी.	भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित (शासन द्वारा संचालित) वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान (जन भागीदारी समित द्वारा संचालित)

पाठ्यक्रम विवरण

क्र.	पाठ्यक्रम	उपाधि	विषय	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता
1.	स्नातक	बी.एस.सी. गणित	अनिवार्य - गणित, भौतिक शास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी वैकल्पिक - रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर साईंस (इनमें से कोई एक)	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता
		बी.एस.सी. जीव विज्ञान	अनिवार्य - रसायन शास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी वैकल्पिक विषय - प्राणी शास्त्र, सेरीकल्चर (कोई एक) वनस्पति शास्त्र, वानिकी (कोई एक)	जीव विज्ञान विषय के साथ 12 वीं
		बी.कॉम	सभी अनिवार्य विषय	वाणिज्य एवं विज्ञान विषय के साथ 12 वीं
		बी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय (जन भागीदारी समिति से संचालित)	किसी भी विषय में 12 वीं
		बी.ए.	अंग्रेजी साहित्य/इतिहास (इनमें से कोई एक) हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान (इनमें से कोई तीन)	किसी भी विषय में 12 वीं
2.	स्नातकोत्तर समेस्टर प्रणाली	एम.ए.	राजनीति शास्त्र, इतिहास	किसी भी विषय के साथ स्नातक संबंधित विषय में स्नातक
		एम.एस.सी	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित (शासन द्वारा संचालित विषय) प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र (जन भागीदारी समिति द्वारा संचालित)	

महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान	क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान
1.	बी.कॉम प्रथम वर्ष	180	5.	एम.ए.	
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष	335	2.	अ. राजनीति विज्ञान	60
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष			ब. इतिहास	60
	अ. जीवविज्ञान	320	3.	एम.एस.सी.	
	ब. गणित	60		शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्रम	
	स. वानिकी	60		अ. गणित	20
	द. कम्प्यूटर साईंस	60		ब. रसायन शास्त्र	20
	छ. सूचना प्रौद्योगिकी	40		स. भौतिक शास्त्र	15
4.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष		4.	ज.भा. समिति द्वारा संचालित	
				द. जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY)	20
				छ. वनस्पति विज्ञान (BOTANY)	20

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश -

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्ग दर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगायी जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी में शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर सभी कक्षाओं क प्रमाणित अंक सूचियां एवं चरित्र प्रमाण पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची जारी होने के पूर्व 100/- विलंब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थित अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाइल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल में प्रदर्शित की गई अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन जमा करें।
13. महाविद्यालय में रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें विर्धारित सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

प्रवेश सूची :-

1. प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्ताकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
2. प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश दिय गया रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।
3. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब हेतु विलंब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किय जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट व पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एंव दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बचन पत्र लिया जावेगा।

5. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

प्रवेश की पात्रता :-

1. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
2. सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :-

1. बी.कॉम/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.ए.पूर्व में आवेदित विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
2. स्नातकोत्तर पूर्व में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
3. बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित विषय में एम.एस.सी. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश हेतु अर्हताऐं -

1. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
2. जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चर रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
3. महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

क. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी परन्तु आयु सीमा बंधन में छात्राओं को 03 वर्ष की छूट रहेगी।

ख. आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेश मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट नहीं होगी।

4. पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

1. उपलब्ध स्थानों से आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।

क. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो जोड़कर प्राप्त कुल प्रशित अंकों के आधार पर।

2. अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम से किया जावेगा।
3. प्रवेश के नियम स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश पर लागू होंगे शेष कक्षाओं में उपलब्ध स्थानों के अनुसार दिया जावेगा।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

1. प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भुतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
3. आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थिति महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु आचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे, अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को क्रमश: 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिति गठन करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्तसीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

2. पिछड़े 5 वर्ग के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसे विद्यार्थी किस संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।
6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
7. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के उपलब्ध रहेंगे।
8. समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणनुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्रों प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमाकरने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्र अधिभार हेतु विचर नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।

3.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काऊट्स :-

स्काऊट्स शब्द को स्काऊट्स/गाईड/रेन्जर्स रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये

क.	एन.सी.सी./एनसी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	-	02 प्रतिशत
ख.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काऊट्स	-	03 प्रतिशत
ग.	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय उत्तीर्ण स्काऊट्स	-	04 प्रतिशत
घ.	राज्य स्तरीय संचालनीय एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिशत प्रतिनिधित्व न करने वाले छात्र को	-	04 प्रतिशत
च.	नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	-	05 प्रतिशत
छ.	राज्यपाल स्काऊट्स	-	05 प्रतिशत
ज.	राष्ट्रपति स्काऊट्स	-	10 प्रतिशत
झ.	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	-	10 प्रतिशत
ट.	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	-	15 प्रतिशत
ठ.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सेंच प्रोग्राम एन.सी.सी. एन.एस.एस. के तहत् चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को	-	15 प्रतिशत
3.2	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण को स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर	-	10 प्रतिशत

3.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/उपांकन प्रतियोगितायें :-

1. लोक-शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर जिला (संभाग स्तर) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर अंचल (संभाग/क्षेत्र स्तर) प्रतियोगिता

क. प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

ख. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लेखित संचालनालयों द्वारा आयोजित अन्तर (राज्य स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई. यू) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

क. प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

ख. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

ग. संभाग/क्षेत्र का प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

क. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले को – 15 प्रतिशत

ख. प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

ग. क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

3.4. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चर एक्चेज प्रोग्राम के तहत (वैज्ञानिक/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

3.5. छ.ग./मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

क. छ.ग. का प्रतिनिधित्व करने वाली टी के सदस्य को – 10 प्रतिशत

ख. प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मध्यप्रदेश की टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

3.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

विशेष प्रोत्साहन :-

ओलम्पियाड/एशियाड/सार्क खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट जिन्होंने (1) ओलम्पियाड/एशियाड/सार्क खेलों के अतिरिक्त अन्य अंतराष्ट्रीय जैसे विश्व स्तर पर/एशियाड स्तर पर/कामनवेल्थ स्तर पर आयोजित मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारंत का प्रतिनिधित्व किया हो। (2) भारत सरका द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छ.ग. का प्रतिनिधित्व किया हो को मात्र अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिना गुणाणुक्रम में प्रवेश दिया जाए बशर्ते :-

(1) उपरोक्त खेलों के प्रमाण पत्रों की संचालक खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

प्रवेश नियम :-

प्रवेश नियमों और उनके क्रियान्वयन में जहां व्याख्या आवश्यक हो प्रवेश समिति का निर्णय होगा। प्रवेश संबंधी सूचनाएं फलक से ही प्राप्त होगी। व्यक्तिगत स्तर पर सूचना नहीं दी जायेगी।

प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित ढंग से अध्ययन पर लगाएगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर कार्यक्रमों में पूरा-पूरा सहयोग देगा। प्रवेश के उपरांत सामान्यत: विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रवेश की अपात्रता एवं प्रवेश को निरस्त करना :-

क. जिन छात्रों के प्रकरण विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों को प्रयोग करने के कारण विश्वविद्यालय के रिपोर्ट किये गये हो उन्हें तक तक प्रवेश न दिया जाए, तब तक कि वे उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं, जिसमें ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट की गई हो।

ख. जिन छात्रों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक अथवा अनैतिकता संबंधी प्रकरण अथवा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय में लंबित हो, प्रवेश के बाद यदि किसी छात्र के विरुद्ध उपरोक्त प्रकार के पुलिस या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, तो ऐसे छात्र को प्रवेश निरस्त किया जावे।

ग. जिन छात्रों ने परीक्षा मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन किया जो या बल प्रयोग किया हो।

घ. जो छात्र महाविद्यालयों में किसी भी कक्षा में प्रवेश लेकर सम्मिलित नहीं हुआ है उसे तब प्रवेश नहीं दिया जाए जब तक कि वह उसके कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

ङ. जो छात्र महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश लेकर सम्मिलित नहीं हुआ है, उसे तब तक प्रवेश दिया जाए जब तक कि व उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

च. जिस छात्र के विरुद्ध महाविद्यालय की शिक्षक परिषद के द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने संबंधी निर्णय लिया गया हो।

छ. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी में पूरक प्राप्त आवेदनों की पात्रता नहीं होगी।

ज. जो छात्र स्नातक स्तरों की किसी संकाय की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो उसे स्नातक स्तर पर अन्य किसी संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी (अपवाद विधि संकाय) स्नातक स्पर पर 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष की व्यवस्था पूर्ण करने वाले को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अजा/अजजा के प्रवेशार्थियों के लिए 3 वर्ष की छुत होगी।

झ. आयुक्त उच्च शिक्षा के परिपत्र 2154/आउशि/शाखा-1/97 भोपाल दिनांक 07.06.1997 के प्रावधान 9.4 के अनुसार जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया हो और/सा. न्यायालय में प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

ञ. इसी प्रकार प्रावधन 9.5 के अनुसार महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पति को नष्ट करने वाले छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

ट. फर्जी प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासनिक अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया हो तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

उ. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।

टिप्पणी - किसी कक्षा में प्रवेश हेतु उन प्रवेशार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें अर्हकारी परीक्षा प्रभावशील सत्र क आरंभ में उत्तीर्ण की हो और जिनके अध्ययन में किसी प्रकार अंतराल (गेप) न हो। उन्हें महाविद्यालय में परिणाम प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर शुल्क जमा करना होगा। अंतराल पड़े हुए प्रवेशार्थियों को तभी प्रवेश दिया जा सकेगा व जब संबंधित कक्षा में स्थान रिक्त होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्र-7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है। (1) निलंबधन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्रमांक-6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढता से किया जायेगा।

महाविद्यालय कार्यालय मे आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि :-

विभिन्न कक्षाओं प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल परकम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अत: छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न कये जाने वाले प्रमाण पत्र :-

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति) 2. अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि। 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र। 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र। 5. अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारुप में)। 6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा, एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्व विद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

शुल्क का विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है :-

(अ) शासकीय शुल्क	रुपये में
1. शिक्षण शुल्क	115.00
2. प्रवेश शुल्क	03.00
3. पुन: प्रवेश शुल्क	10.00
4. स्टेशनरी शुल्क	02.00

(ब) अशासकीय शुल्क	रुपये में
1. छात्र संघ शुल्क	2.00
2. निर्धन छात्र कल्याण निधि	5.00
3. महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
4. सम्मिलित निधि 20.00, क्रीड़ा 12.00	32.00
5. वार्षिक उत्सव शुल्क	50.00
6. चिकित्सा शुल्क	20.00
7. छात्र कामन रुम एवं वाचनालय शुल्क	20.00
8. धरोहर राशि (स्नातक स्तर पर)	60.00
9. ग्रंथालय कल्याण	10.00
10. शारीरिक कल्याण शुल्क (वि.वि.)	150.00
11. प्रायोगिक विज्ञान शुल्क	25.00
12. अप्रवासन शुल्क	220.00

(अन्य वि.वि. से आने वाले के लिए)

13. विविध शुल्क	30.00
14. जनभागीदारी शुल्क	400.00
15. रेड क्रास शुल्क	25.00
16. परिचय पत्र शुल्क	20.00
17. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	50.00
18. धरोहर राशि (स्नातकोत्तर स्तर)	100.00
19. सायकल स्टेण्ड शुल्क	50.00
20. युवा उत्सव	20.00
21. एम.एस.सी (वन. शास्त्र/प्राणी शास्त्र) हेतु (ज.भा.)	1000.00

(पाठ्यक्रम में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले के लिए)

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये छात्रों के लिए 220.00 आव्रजन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश निर्धारित विलम्ब शुल्क अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा।

स. कॉशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य है :-

(1) स्नातक स्तर पर 60.00 (2) स्नातकोत्तर स्तर पर (100.00 नव प्रवेशी पर)

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मूल रसीद जिसके द्वारा कॉशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीप :- (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित दिन तक शुल्क जमा नीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियों में जमा करना अनिवार्य है।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियम :-

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रुप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि नियमानुसार राजसात हो जाएगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

शुल्क संबंधी रियायतें :-

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियायतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियायतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखित रियायते मिलती हैं।

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियायते :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी :- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यदि रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उनके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश शासन उच्च विभाग के ज्ञापन क्र.-1607/1886/बजट/86 भोपाल दिनांक 06.05.1986 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतनमान में रू. 1450/- तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की जावे। यह छूट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक-2246/3236/बी-9/72 दिनांक 04.05.1973 सहपठित ज्ञापन 2646/3409/बी-9-73 दिनांक 10.08.1973 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार रहेगी। य आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशील रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नहीं किया गया है व उनके बच्चों के संबंधित में शिक्षण शुल्क में छूट पूर्व आदेशों के अनुसार ही रहेगी।

ग. बहन-भाई होने के कारण सुविधा-यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय मं एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतें :- इस छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छूट प्रदान की जा सकती है और उन्हें दो तिहाई शुल्क जमा करना होगा। इस सुविधा का लाभ उन्हीं छात्रों को दिया जा सकेगा जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/- से अधिक न हो। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश पत्र शुल्क पत्र एवं उसका उपयोग :-

छात्र को शुल्क भुगतान करते समय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित में है वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच अच्छी तरह से कर लें कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियां की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दण्डात्मक 10.00 शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएं :-

क. पुस्तकालय :- महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित कीज जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अवधि श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाऐं भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैंक :- इसके अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तकें जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजना :- शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तकं तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. शिक्षण सुविधाओं में ओवर हेड प्रोजेक्टर एवं एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है।

च. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था :- भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियां दी जाती है।

1. एकीकृत छात्रवृत्ति।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति शासन के निर्देशानुसार।
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति।

परिचय पत्र एवं उनका प्रयोग:-

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तक छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिभावक योजना :-

शिक्षक अभिभावक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावक की भूमिका दी जाती है. छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, अभिरुचि, उपस्थिति एंव शैक्षणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है। जिससे छात्रों के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिभावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियों के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में संलिप्त पाया गया है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के ससामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आन्दोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
10. छात्र/छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखें तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करें। परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की रसीद प्रस्तुत करें।
11. कक्षाओं में अध्ययन के समय बरामदों में न घूमें तथा किसी तरह बाधा न पहुंचायें। प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों को अक्षरश: पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कर्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट नहीं करेगा।

4.0 प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75% प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा मे बैठने की पात्रता नहीं होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयेग सावधानीपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निशेध :-

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है -

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा/अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्त पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैं :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्ट्रीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/- तक

शैक्षणिक स्टॉफ

कला संकाय

1.	इतिहास	-	डॉ. शिखा सरकार	-	सहायक प्राध्यापक
2.	अंग्रेजी	-	डॉ. के. एम. प्रसाद	-	सहायक प्राध्यापक
3.	समाज शास्त्र	-	डॉ रत्नबाला मोहन्ती	-	सहायक प्राध्यापक
4.	हिन्दी	-	श्री कौशिक कुमार	-	सहायक प्राध्यापक
5.	अर्थशास्त्र	-	श्री पीरी सिंह ठाकुर	-	सहायक प्राध्यापक
6.	राजनीति शास्त्र		श्री एस.के. नेताम		सहायक प्राध्यापक
		-	श्री सुधीर अग्रहरि	-	सहायक प्राध्यापक
7	मनोविज्ञान	-	डॉ. मनोज राव, डॉ. दिनेश लहरी		— ,, —

विज्ञान संकाय

1.	रसायन शास्त्र	-	सुश्री धारणा ठाकुर	-	सहायक प्राध्यापक
2.	वनस्पति शास्त्र	-	श्री राजीव पाणिग्राही	-	सहायक प्राध्यापक
3.	आई.टी. सूचना प्रौद्योगिकी	-	श्रीमती सरला पैकरा	-	सहा. प्राध्यापक
4.	वानिकी	-	श्रीमती रश्मा एक्का	-	— ,, —
5.	कम्प्यूटर साइंस	-	श्री बंशधर चौहान	-	— ,, —
6.	गणित	-		-	
7.	भौतिक शास्त्र	-	श्री ~~[illegible]~~ सिद्धार्थ देवांगन	-	— ,, —

वाणिज्य संकाय

1.	वाणिज्य	-	डॉ. आर.के. हिरकने	-	प्राध्यापक
		-	डॉ. मुकेश कुमार	-	सहायक प्राध्यापक

पुस्तकालय

1.	ग्रंथपाल	-	सुश्री प्रभा मांझी	-	
2.	क्रीड़ाधिकारी	-	श्री बी.एल. केंवट	-	

प्रयोग शाला

1.	श्री एस.के. कोसरे	-	रसायन विभाग	-	प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	श्री जितेन्द्र बघेल	-	भौतिक विभाग	-	प्रयोगशाला तकनीशियन
3.	श्री अक्षय बघेल	-	वनस्पति विभाग	-	प्रयोगशाला तकनीशियन
4.	श्री संजय हलधर	-	प्राणी शास्त्र विभाग	-	प्रयोगशाला तकनीशियन

कार्यालयीन स्टॉफ

1.	श्रीमती वैजन्ती ठाकुर	-	सहायक ग्रेड-2
2.	श्रीमती कमली बारसा	-	प्रयोग शाला परिचारक
3.	श्री पिताम्बर यादव	-	भृत्य
4.	श्रीमती सरोजाबाई	-	सफाई कर्मी
5.	प्रफुल्ल कुमार यादव	-	सहायक ग्रेड-3 (ज.भा.)
6.	सुश्री मीरा बघेल	-	सह ऑपरेटर (ज.भा.)
7.	श्री मुकेश कुमार भास्कर	-	प्रयोग शाला परि. (ज.भा.)
8.	श्री शंकर नाग	-	प्रयोग शाला परि. (ज.भा.)
9.	श्री बलविन्दर नाग	-	प्र.शा.परि. (ज.भा.)
10.	श्री ऋषिकेश मण्डावी	-	प्रयोग शाला परि. (ज.भा.)
11.	श्री संदीप भास्कर	-	भृत्य (ज.भा.)
12.	श्री गंगदेव सिंह ठाकुर	-	भृत्य (ज.भा.)
13.	केश कुमार नेताम	-	बुक लिफ्टर/ऑपरेटर (ज.भा.)
14.	श्री सुब्रमणियम	-	सफाई कर्मी (ज.भा.)
15.	महेशराम सेठिया	-	चौकीदार (ज.भा.)